रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1985/PAUSA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1985

का. आ. 9(अ) :—केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन निगम (निदेशक मंडल) नियम, 1984 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस के श्री गौतम कौल, अपर पुलिस आयुक्त (सुरक्षा और यातायात) को दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड में सरकारी निदेशक नियुक्त करती है और भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 305(अ) दिनांक 4 मई, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में क्रम सं. (7) के बदले निम्नलिखित रखे जायेंगे :—

"(7) श्री गौतम कौल
अपर पुलिस आयुक्त (सुरक्षा और यातायात),
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
नई दिल्ली ।"

[फाइल सं. टी. डब्ल्यू/टी जी डी (22)/82]
पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 1985

S.O. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Rules, 1984 the Central Government hereby appoints Shri Gautam Kaul, Addl. Commissioner of Police (S&T) Delhi Police as official Director of Delhi Transport Corporation Board and make the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 305(E), dated the 4th May, 1982, namely :—

In the said Notification in para 1 against the item (vii), the following shall be inserted :

"(vii) Shri Gautam Kaul,
Addl. Commissioner of Police (S&T),
Delhi Police,
Police Headquarter,
New Delhi."

[File No. TW/TGD(22)/82]
P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

1.8.85

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 1985/पौष 17, 1906

No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 1985/PAUSA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागरिक और पूर्ति मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1985

का० आ० 10 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गणेश फलोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए —इन नियमो में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमो का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित उन शब्दो और पदों के, जो अधिनियम मे परिभाषित हैं, वे ही अर्थ हैं जो अधिनियम में उनके हैं।

3. संसूचना के लिए समय की परिसीमा :—किसी निहित संपत्ति का प्रत्येक बंधकदार और निहित संपत्ति में या उसके संबंध में कोई प्रभार या धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बंधक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित की संसूचना इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को देगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि ऐसा बंधकदार या ऐसे प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारणा करने वाला व्यक्ति उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर उपर्युक्त संसूचना पर्याप्त कारण से नही दे सका था तो वह तीस दिन की आगे और अवधि के भीतर संसूचना ग्रहण कर सकता है किन्तु उसके पश्चात नही।

4. संसूचना की रीति :—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक संसूचना लिखित में और आयुक्त को संबोधित होगी तथा उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां रहेंगी, अर्थात्:—

(क) बंधकदार, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित के धारक का नाम, विवरण और पूरा पता;